



पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनार्ये बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-12.03.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्रीमती पूनम देवी यादव,
स०वि०स०
- "डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, विद्युत कॉलनी, राजवंशीनगर, पटना के +2 की छात्रा प्रिया राय 28.02.2015 से विद्यालय से लापता है। जिसका शास्त्रीनगर थाना में कांड संख्या-120/15 दिनांक-28.02.2015 द्वारा एफ०आई०आर० दर्ज है। पुलिस को खून का धब्बा भी मिला है। उक्त विद्यालय में पूर्व में कई बार अपराधिक वारदातें होते रही हैं। इस घटना से छात्र-छात्राओं के अभिभावक के बीच में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है, साथ ही ऐसे घटना से राज्य की प्रतिष्ठा कलंकित होती है।

अतः लापता छात्रा प्रिया राय की सुरक्षित वापसी तथा विद्यालय में हो रहे अवैध और अनैतिक कार्यों की जाँच के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।"

1	2	3	4
2.	श्री अरूण शंकर प्रसाद, संवि०स० श्री राम नरेश यादव, संवि०स० श्री परमानंद ऋषिदेव, संवि०स० श्री कुमार शैलेन्द्र, संवि०स० श्री अमन कुमार, संवि०स० श्री सोनेलाल हेम्ब्रम, संवि०स०	<p>“प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की उपलब्धि पटना समेत प्रमंडल के पांच जिलों में नग्न है। प्रमंडल के सभी जिलों को मिलाकर 1515 बेरोजगार लोगों को ऋण देना था जिसके लिये प्रशासन की निगरानी में 2143 आवेदन बैंकों में भेजे गये थे। लेकिन पिछले साल के अन्त तक केवल 138 आवेदनों की स्वीकृति दी गयी है। अर्थात् लक्ष्य का 10% भी अभी तक पूरा नहीं हो सका है। जबकि नालन्दा, रोहतास, कैमूर एवं बक्सर में किसी को भी ऋण नहीं मिला है। चालू वित्तीय वर्ष में पटना जिले में 40 से भी कम बेरोजगारों को ऋण का लाभ मिला है। जबकि इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त, 2008 को ही हुआ था जिसके अन्तर्गत विभिन्न विनिर्माण क्षेत्र के लिये 10 लाख और सेवा क्षेत्र के लिये 5 लाख तक ऋण देने का प्रावधान है। लेकिन बैंकों के असहयोग के कारण इस योजना का लाभ लाभुकों को नहीं मिल पाया है।</p> <p>अतः उक्त योजना का अधिकतम लाभ बेरोजगारों को दिलाने तथा इस योजना में असहयोगात्मक रवैया अपनाने वाले बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”</p>	उद्योग / वित्त

हरैराम मुखिया

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-1/15- 400 / वि०स०, पटना, दिनांक- 11 मार्च, 2015 ई०।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह (आरक्षी) विभाग / उद्योग विभाग एवं वित्त विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-1/15- 400 / वि०स०, पटना, दिनांक- 11 मार्च, 2015 ई०।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।



(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

